न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 59/2024

दलीप पुत्र नेकीराम जाति धाणक निवासी खरतवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

निर्णय

दिनांक 19/03/25

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा खरतवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 102 तादादी 1.5174 हेक्ट., खसरा सं. 103 तादादी 1.6565 हैक्ट., खसरा नं. 180 तादादी 10.1413 हैक्ट., खसरा सं. 27 तादादी 7.9916 हैक्ट., खसरा सं. 28 तादादी 8.2572 हैक्ट. कुल तादादी 29.5640 हैक्ट. प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र निकूराम अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि आधार कार्ड, पैन–कार्ड, पहचान–पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में नाम दलीप पुत्र नेकीराम है। प्रार्थी जमांबदी में अपना नाम दलीप पुत्र निकूराम के स्थान पर दलीप पुत्र नेकीराम करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा खरतवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 102 तादादी 1.5174 हेक्ट., खसरा सं. 103 तादादी 1.6565 हैक्ट., खसरा नं. 180 तादादी 10.1413 हैक्ट., खसरा सं. 27 तादादी 7.9916 हैक्ट., खसरा सं. 28 तादादी 8.2572 हैक्ट. कुल तादादी 29.5640 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र नेकीराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने दलीप पुत्र निकूराम व दलीप पुत्र नेकीराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन–कार्ड, पहचान–पत्र से प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र नेकीराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में दलीप पुत्र निकूराम नाम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा खरतवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 102 तादादी 1.5174 हेक्ट., खसरा सं. 103 तादादी 1.6565 हैक्ट., खसरा नं. 180 तादादी 10.1413 हैक्ट., खसरा सं. 27 तादादी 7.9916 हैक्ट., खसरा सं. 28 तादादी 8.2572 हैक्ट. कुल तादादी 29.5640 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दलीप पुत्र **निकूराम Delete** कर इसके स्थान पर दलीप पुत्र **नेकीराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू